परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)
केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.कें.वि.-6, पश्चिमी क्षेत्र, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094.
Central Office, AECS-6, Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai-400094.
दूरभाष / Telephone : 2556 5049 / 2557 1501 / 2550 9731
वेबसाइट / website : aees.gov.in / ईमेल आईडी/email id : pers-conf@aees.gov.in

जनगणना से जन कल्याण

AEES/R&V/PQ/2026/C-1049 Date: 28.08.2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय/ Subject: **एलडीई के माध्यम से पदोन्नति कोटा के अंतर्गत पैनल गठन हेतु निर्धारित अर्हक अंक एवं चयन हेतु भारांक में संशोधन के संबंध में।**
Revision in the qualifying marks and weightage for selection for empanelment under promotion quota through Limited Departmental Examination (LDE) – reg.

संदर्भ/ Reference:
1. **AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026**
2. **AEES/R&V/PQ/2026/C-583 dated 25.06.2026**

संदर्भित परिपत्र संख्या AEES/R&V/PQ/2026/C-210 दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा) एलडीई (के आधार पर योग्यता-सह-वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति कोटा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण पदों हेतु प.ऊ.शि.सं. में अभ्यर्थियों के पैनल गठन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

Kind reference is invited to Circular No. AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026 regarding guidelines for empanelment of candidates in AEES for various teaching posts against promotion quota on Limited Departmental Examination (LDE) on Qualifying-cum-Seniority basis.

सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार, उक्त परिपत्र के संबंधित प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

In accordance with the decision of the Competent Authority, the relevant provisions of the aforesaid Circular are hereby amended as under:

खंड संख्या / Clause No.	मौजूदा प्रावधान / Existing Provision	संशोधित प्रावधान / Revised Provision
2.4	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंक **40%** तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **35%**।Qualifying marks: **40%** for General category candidates and **35%** for SC/ST category candidates.	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंक **50%** तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **45%**।Qualifying marks: **50%** for General category candidates and **45%** for SC/ST category candidates.
2.8	प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पदों हेतु चयन के लिए भारांक: **लिखित परीक्षा 85% एवं साक्षात्कार 15%**।Weightage for selection for the posts of Principal and Vice-Principal: **85% for written examination and 15% for interview**.	प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पदों हेतु चयन के लिए भारांक: **लिखित परीक्षा 70% एवं साक्षात्कार 30%**।Weightage for selection for the posts of Principal and Vice-Principal: **70% for written examination and 30% for interview**.

उक्त परिपत्र संख्या AEES/R&V/PQ/2026/C-210 दिनांक 05.05.2026 एवं AEES/R&V/PQ/2026/C-583 दिनांक 25.06.2026 की अन्य सभी शर्तें/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

All other provisions/conditions of Circular No. AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026 and AEES/R&V/PQ/2026/C-583 dated 25.06.2026 shall remain unchanged.

प.ऊ.कें.वि. के सभी प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को उनके अधीन कार्यरत शिक्षकों के संज्ञान में लाया जाए तथा इसकी एक प्रति शिक्षक कक्ष (स्टाफ रूम) के सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित की जाए। इस पर प्राप्त दिनांकित अभिस्वीकृति को अभिलेख हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

All the Heads of AECSs are requested to bring contents of this circular to the notice of teachers working under their control and a copy of the same be displayed in the staff room notice boards. The dated acknowledgement obtained thereon be forwarded to this office for records.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्नक : दिनांक 05.05.2026 एवं 25.06.2026 के परिपत्र।

Encl.: Circularsdated 05.05.2026 and 25.06.2026.

28/8/2026

(प्रेमा अरुणाचलम /Prema Arunachalam)
प्रशासनिक अधिकारी-III/
Administrative Officer-III

सभी प.ऊ.कें.वि. के प्रमुख/All Heads of AECSs.

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (AEES)
(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)
दूरभाष / Telephone : 2556 5049 / 2557 1501 / 2550 9731
वेबसाइट / website : aees.gov.in / ईमेल आय.डी./email id : pers-conf@aees.gov.in

AEES/R&V/PQ/2026/C-583

Date: 25.06.2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय/ Subject: **चुनौती शुल्क की दर में संशोधन के संबंध में।/ Revision in the rate of challenge fee-reg.**

संदर्भ/ Reference: **एईईएस/आर एण्ड वी/पीक्यू/2026/सी-210 दिनांक 05.05.2026/ AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026**

संदर्भित परिपत्र संख्या AEES/R&V/PQ/2026/C-210 दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के आधार पर योग्यता-सह-वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति कोटा के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण पदों हेतु एईईएस में अभ्यर्थियों के पैनल गठन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

Kind reference is invited to Circular No. AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026 regarding guidelines for empanelment of candidates in AEES for various teaching posts against promotion quota on Limited Departmental Examination (LDE) on Qualifying-cum-Seniority basis.

सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार, उक्त परिपत्र के खंड 2.6 के अंतर्गत निर्धारित चुनौती शुल्क में संशोधन करते हुए इसे ₹1,000/- (केवल एक हजार रुपये) प्रति प्रश्न से घटाकर ₹250/- (केवल दो सौ पचास रुपये) प्रति प्रश्न किया जाता है।

In accordance with the decision of the Competent Authority, the prescribed challenge fee under clause 2.6 stands amended from ₹1,000/- (Rupees One Thousand only) to ₹250/- (Rupees Two Hundred Fifty only) per question.

उक्त परिपत्र संख्या AEES/R&V/PQ/2026/C-210 दिनांक 05.05.2026 की अन्य सभी शर्तें/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

All other provisions/conditions of Circular No. AEES/R&V/PQ/2026/C-210 dated 05.05.2026 shall remain unchanged.

प.ऊ.कें.वि. के सभी प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को उनके अधीन कार्यरत शिक्षकों के संज्ञान में लाया जाए तथा इसकी एक प्रति शिक्षक कक्ष (स्टाफ रूम) के सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित की जाए। इस पर प्राप्त दिनांकित अभिस्वीकृति को अभिलेख हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

All the Heads of AECSs are requested to bring contents of this circular to the notice of teachers working under their control and a copy of the same be displayed in the staff room notice boards. The dated acknowledgement obtained thereon be forwarded to this office for records.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्नक : दिनांक 05.05.2026 का परिपत्र।
Encl.: Circular dated 05.05.2026.

रूपा
25/06/2026
(रूपा एम. सावंत/Roopa M. Sawant)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/
Assistant Administrative Officer

सभी प.ऊ.कें.वि. के प्रमुख/All Heads of AECSs.

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

AEES/R&V/PQ/2026/C-210

5 मई, 2026

परिपत्र/CIRCULAR

विषय Subject: प.ऊ.शि.सं. में विभिन्न शिक्षण पदों पर, सीमित विभागीय परीक्षा (LDE) (योग्यता-सह-वरिष्ठता) के आधार पर 'पदोन्नति कोटा' के अंतर्गत, उम्मीदवारों के पैनल में शामिल किए जाने हेतु दिशानिर्देश।/ Guidelines for empanelment of candidates in AEES for various teaching posts against Promotion Quota on Limited Departmental Examination (LDE) (Qualifying-cum-Seniority) basis.

प.ऊ.शि.सं. के पात्र कर्मचारियों को प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, स्नात्कोत्तर शिक्षक (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), और प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (एचएम) के पदों पर पदोन्नति कोटे के तहत, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पैनल में शामिल करने के लिए, 'सीमित विभागीय परीक्षा' (एलडीई) आयोजित करने हेतु निम्नलिखित संशोधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। ये दिशानिर्देश इस संबंध में प.ऊ.शि.सं. द्वारा पूर्व में जारी किए परिपत्रों और निर्देशों को निरस्त कर उनके स्थान पर प्रभावी होगा, जिसमें प.ऊ.शि.सं. परिपत्र संख्या AEES/R&V/PQ/2019/2307 दिनांकित 11.09.2019 भी शामिल है।

The following revised comprehensive guidelines are hereby issued for the conduct of the Limited Departmental Examination (LDE) for empanelment of eligible AEES employees to the posts of Principal, Vice-Principal, Post Graduate Teachers (PGTs), Trained Graduate Teachers (TGTs), and Head Master/Head Mistress (HM) against Promotion Quota on Qualifying-cum-Seniority basis. These guidelines supersede all previous circulars and instructions issued by AEES in this regard, including AEES Circular No. AEES/R&V/PQ/2019/2307 dated 11.09.2019.

1. नियुक्ति की प्रक्रिया/Method of Recruitment-

उपर्युक्त पदों पर भर्ती की विधि अर्हता-सह-वरिष्ठता के आधार पर सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से की जाएगी। अंतिम पैनल का गठन फीडर कैडर के उन अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा, जो लिखित परीक्षा (तथा जहाँ लागू हो, साक्षात्कार) उत्तीर्ण करते हैं और निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

The method of recruitment to the aforesaid posts shall be through Limited Departmental Examination (LDE) on Qualifying-cum-Seniority basis. The final empanelment shall be based on the inter-se-seniority of candidates from the feeder cadre who qualify the Written examination (and Interview, wherever applicable) and satisfy the prescribed benchmarks, subject to availability of vacancies.

2. लिखित परिक्षा/साक्षात्कार/Written test/Interview-

2.1 परीक्षा की संरचना (ओएमआर + पेन-पेपर) निम्नानुसार होगी/The examination structure (OMR + Pen paper) shall be as follows:

परीक्षा के घटक Component of the Test	वस्तुनिष्ठ प्रश्न Objective questions	वर्णात्मक प्रश्न Descriptive questions	कुल प्रश्न एवं अंक Total questions and Marks	अवधि Duration
विस्तृत पाठ्यक्रम एक परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। The detailed syllabus is enclosed as an Annexure.	60 प्रश्न/ 60 questions ओएमआर आधारित प्रत्येक 1 अंक OMR based - 1 mark each	10 प्रश्न 10 questions पेन-पेपर- प्रत्येक 4 अंक Pen-paper- 4 marks each	70 प्रश्न 70 questions 100 (60 + 40) अंक/Marks	2 घंटे एवं 30 मिनट 2 Hours and 30 Minutes

2.2 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में प्रतिपूरक समय प्रति घंटे की परीक्षा के लिए 20 मिनट की दर से प्रदान किया जाएगा। ऐसे सभी दिव्यांग अभ्यर्थी जो स्क्राइब (लेखक) की सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें तीन घंटे की अवधि वाली परीक्षा के लिए न्यूनतम एक घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। Compensatory time to be allowed in the case of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) is 20 minutes per hour of examination. All candidates with disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of three hours duration.

2.3 कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।/There shall be no negative marking.

2.4 यह एक पदोन्नति पद होने के कारण, पैनल में शामिल किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम अर्हता अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 35% निर्धारित होंगे।
Being a promotional post, minimum qualifying marks in Written Test/Interview (as applicable) for consideration for empanelment will be 40% for Unreserved (UR) category whereas 35% for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) and PwBD applicants.

2.5 यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करते हैं, तो उन्हें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार अथवा एपीएआर ग्रेडिंग में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उन्हें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
In case candidates belonging to SC/ST categories apply against UR posts, they will NOT be entitled to any relaxation in scores in the Written examination, Interview, or APAR gradings, and they will be required to compete with candidates belonging to the Unreserved category.

2.6 वस्तुनिष्ठ/लिखित/वर्णनात्मक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी कारण से प्राप्त कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर-कुंजी के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा समय-सीमा के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने हेतु प्रति प्रश्न ₹1000 का शुल्क देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय है; तथापि, यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो उक्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
There is no provision for re-evaluation of Objective (OMR)/Written/Descriptive examination. No request in this regard will be entertained irrespective of the reasons. Candidates may submit challenges to the answer key within the stipulated time, and no challenges will be entertained after the deadline. A fee of ₹1000 per question must be paid for submitting challenges. The fee is non-refundable; however, it will be refunded if the challenge is accepted by subject experts.

...3/-

2.7 प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य हेतु साक्षात्कार: प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। अधिसूचित रिक्तियों के लिए लिखित परीक्षा में अर्हता-सह-वरिष्ठता के आधार पर अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

Interview for Principal and Vice-Principal: There will be an Interview of 100 marks for the post of Principal & Vice-Principal. Candidates shall be called for Interview in a ratio of 1:3 against vacancies notified for the post, based on Qualifying-cum-Seniority in the written examination.

2.8 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (जहाँ भी लागू हो) का भारांक निम्नानुसार है/The weightage of Written test and Interview (wherever applicable) is as follows:

क्र.सं. Sl.No	पद का नाम Name of the Post	अंक Marks	भारांक Weightage
1	प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य Principal /Vice-Principal	लिखित/Written - 100 साक्षात्कार/Interview - 100	लिखित/Written - 85% साक्षात्कार/Interview - 15%
2	स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रधानाध्यापक PGTs, TGTs, and HMs	लिखित/Written - 100 साक्षात्कार लागू नहीं Interview - Not applicable	लिखित/Written - 100%

2.9 अंतिम चयन पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार साक्षात्कार में अर्हता-सह-वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। जिन मामलों में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, उन स्थितियों में अंतिम चयन पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता-सह-वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

The final selection will be on the basis of Qualifying-cum-Seniority in the Interview as per the vacancies notified for the post. In case where the element of Interview is not involved, the final selection will be on the basis of Qualifying-cum-Seniority in the Written examination as per the vacancies notified for the post.

2.10 पैनल में सम्मिलन हेतु: वे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (जहाँ लागू हो) उत्तीर्ण किया है और जिनके पास वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) में निर्धारित न्यूनतम मानदंड उपलब्ध हैं, उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर तथा संबंधित श्रेणी एवं विषय में रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जाएगा।

For empanelment- Candidates qualified in the Written test, Interview (wherever applicable) and possess minimum benchmark in Annual Performance Appraisal Report (APAR) will be considered as per their seniority and subject to availability of vacancies under respective category & subject.

3. पात्रता मापदंड/Eligibility Criteria

3.1 शैक्षिक योग्यता और सेवा अनुभव/Educational Qualification and Service Experience-

- अभ्यर्थियों के पास संबंधित पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए तथा फीडर संवर्ग में नियमित सेवा की निर्धारित अवधि को पूरा करना आवश्यक है, जैसा कि प.ऊ.शि.सं. भर्ती नियमों (प.ऊ.शि.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट है। यह सभी शर्तें संबंधित सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) चक्र के लिए अधिसूचित कट-ऑफ तिथि के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए।/Candidates must possess the educational qualifications and fulfil the requisite length of regular service in the feeder cadre as specified in AEES Recruitment Rules (available on AEES website) for the respective post, as on the cut-off date notified for the respective LDE cycle.

- केवल प.ऊ.शि.सं. के नियमित कर्मचारी के रूप में संबंधित फीडर पद पर दी गई सेवाओं को ही गणना में लिया जाएगा। अन्य विभागों/संगठनों में प्रदान की गई पूर्व सेवाओं को सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से पदोन्नति हेतु अर्हता अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा।/Services rendered as an AEES regular employee only in the specific feeder post shall be counted. Past service rendered in other departments/organisations shall not be reckoned as qualifying experience for promotion through LDE.

- अर्हकारी सेवा की गणना करते समय अविनियमित अवकाश की अवधि को विचार में नहीं लिया जाएगा।
  Non-regularised periods of leave may not be considered while calculating qualifying service.

3.2 वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर): वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन का मानक पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के सभी एपीएआर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो दिनांक 08.02.2002 एवं 18.02.2008 की डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार है। इसके अनुसार, लेवल 11 तक के अधिकारियों के लिए "अच्छा" का मानक आवश्यक है, जबकि लेवल 12 एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए "बहुत अच्छा" का मानक आवश्यक होगा।

APAR Benchmark- The APAR benchmark is determined based on all APARs of the preceding five years, in accordance with the DoPT guidelines dated 08.02.2002 and 18.02.2008, wherein officers up to Level 11 are required to have a benchmark of "Good," while officers at Level 12 and above must meet a benchmark of "Very Good."

3.3 विषय-विशिष्ट शर्तें/Subject-specific Conditions-

- पीजीटी एवं टीजीटी के पदों के लिए, अभ्यर्थी केवल एक ही विषय के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।
  For the posts of PGT and TGT, a candidate can apply for one subject only.

- प्रधानाध्यापक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों हेतु: अभ्यर्थियों के पास सीटेट की अर्हता होना अनिवार्य है (प्रधानाध्यापक पद हेतु आवेदन करने वाले प्राथमिक शिक्षक/शिक्षिका के लिए पेपर-I तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु आवेदन करने वाले प्राथमिक शिक्षक/शिक्षिका के लिए पेपर-II)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बेंचमार्क दिव्यांगता अभ्यर्थियों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट प्रदान की जाएगी (अर्थात सीटेट में 55% अंक या 150 में से 82 अंक)।

  For the post of Head Master and Trained Graduate Teachers (TGTs), candidates must possess CTET qualification (Paper-I in case of PRTs applying for Head Master and Paper-II in case of PRTs applying for TGTs). There shall be 5% relaxation in qualifying marks for SC/ST/PwBD candidates (i.e., 55% marks or 82 out of 150 in CTET).

3.4 सतर्कता एवं अनुशासनिक अनापत्ति स्वीकृति/Vigilance/Disciplinary Clearance-

- जो अभ्यर्थी कट-ऑफ तिथि के अनुसार तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर दंड की अवधि के अंतर्गत हैं, वे सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।/Candidates who are under Currency of Penalty as on the cut-off date and as on the date of submission of the application form shall NOT be eligible to apply through LDE.

- यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कट-ऑफ तिथि के अनुसार तथा/या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर कोई अनुशासनिक मामला लंबित है अथवा विचाराधीन है, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन रहते हुए सीमित विभागीय परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है/If a disciplinary case is pending or contemplated against any employee as on the cut-off date and/or on the date of submission of the application form, such employee may be allowed provisionally to appear in the LDE, subject to the final outcome of the proceedings.

प.ऊ.कें.वि. के सभी प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को उनके अधीन कार्यरत शिक्षकों के संज्ञान में लाया जाए तथा इसकी एक प्रति शिक्षक कक्ष (स्टाफ रूम) के सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित की जाए। इस पर प्राप्त दिनांकित अभिस्वीकृति को अभिलेख हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

All the Heads of AECSs are requested to bring contents of this circular to the notice of teachers working under their control and a copy of the same be displayed in the staff room notice boards. The dated acknowledgement obtained thereon be forwarded to this office for records.

संलग्न/Encl: अनुलग्नक/Annexure (प.ऊ.शि.सं.-पाठ्यक्रम/AEES syllabus)

ललितमोहनपंत 05th May 2026

(डॉ. ललित मोहन पंत/Dr. Lalit Mohan Pant)
सचिव/Secretary

सभी प.ऊ.कें.वि. के प्रमुख/All Heads of AECSs.